न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर) शिवगंज जिला सिरोही

पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र R.A.S

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
घीसूलाल पुत्र समाजी देवडा जाति रैन व अन्य निवासी प्रेमा निवासी जोयला हाल नेशनल स्कूल रोड, भांडूप वेस्ट ओ0 मुम्बई	बनाम	राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत सोनी

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, शिवगंज (राजस्थान)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

रा. प्रार्थना पत्र संख्या 55/2024
दिनांक 18.12.2024

–:आदेशः–

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा जोयला पटवार हल्का जोयला भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र जोगापुरा तहसील शिवगंज में प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी आई हुई है। जिसके खसरा नं0 342, 343, 344, 493/378, 495/340, 497/341, 500/345, 503/379, 505/380 रकबा क्रमशः 0.2671,0.4856, 0.7770, 0.0565, 0.6556, 0.4048, 0.0405, 0.6314, 0.5423 कुल किता 9 कुल रकबा **3.8608 हैक्टयर** है। उक्त प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में सही दर्ज नहीं होने से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पूर्व में कृषि आराजी समाजी की मृत्यु हो जाने से उनके प्रथम श्रेणी के वारीसान घीसूलाल व मीठालाल के नाम से नामांतकरण दर्ज किया गया जिसमें घीसूलाल पुत्र समाजी दर्ज नहीं करते हुए घीसाराम पुत्र समरथाराम कर दिया गया है जो गलत है। मीठालाल जी की मृत्यु होने पर प्रार्थीगण सं0 2 का नाम नारंगीदेवी दर्ज नहीं करते हुए नारायणीदेवी, प्रार्थीगण सं0 3 का नाम गीताबेन दर्ज नहीं करते हुए भूरी देवी व प्रार्थीगण सं0 4 का नाम मूलीदेवी दर्ज नहीं करते हुए मुरकीदेवी दर्ज किया गया है जो कि गलत है। उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण का नाम सही दर्ज नहीं होने से उक्त खसरा सं0 की कृषि भूमि को उपयोग व उपभोग करने में अनैक प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पडता है। अतः प्रार्थीगणों ने अपना नाम राजस्व रेकर्ड में नाम दुरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय मे पेश कर नाम शुद्धी करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार शिवगंज ने उनके पत्र क्रमांक 681 दिनांक 26.11.2024 के द्वारा जवाब पेश किया। जिसमें अवगत कराया कि समरथा पुत्र भूता सुआर की मृत्यु होने से ग्राम जोयला के नामांतरकरण सं0 266 दिनांक 30.10.77 द्वारा मीठा, घीसा, पिता समरथा का नाम दर्ज किया गया। तहसीलदार शिवगंज के आदेश क्रमांक 2013 दिनांक 08.04.2013 की पालना में नामां0 सं0 1647 दिनांक 08.04.2013 के द्वारा सम्मानजनक द्वारा मीठा, घीसा पिता समरथा के स्थान पर मीठालाल, घीसाराम पि0 समरथाराम दर्ज हुआ। व मीठालाल की मृत्यु दिनांक 09.06.2021 को होने के पश्चात विरासत द्वारा धरमीबाई पत्नी मीठालाल, नारायणीदेवी पुत्री मीठालाल, पूरणदेवी पुत्री मीठालाल, पिस्तादेवी पुत्री मीठालाल, भंवरीदेवी पुत्री मीठालाल, मुरकीदेवी पुत्री मीठालाल, रमेशकुमार पुत्र मीठालाल के नाम से दर्ज हुआ है। प्रार्थी घीसूलाल के आधार कार्ड पेनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम घीसूलाल ही दर्ज है। प्रार्थीया नारंगीदेवी के आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थीया का नाम नारंगीदेवी ही दर्ज है। प्रार्थीया गीताबेन के आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र में गीताबेन ही दर्ज है। प्रार्थीया मूलीदेवी के आधार कार्ड, पहचान पत्र में भी प्रार्थीया का नाम मूलीदेवी दर्ज है। प्रार्थी अधिव[illegible] दिनांक [illegible] को वादग्रस्त आराजी के सहखातेदारान पिस्तादेवी व भंवरीदेवी के शपथ [illegible] कर प्रार्थीगणों के नाम संशोधन करने का निवेदन किया गया। उक्त प्रकरण [illegible] पक्ष की दिनांक 18.12.2024 को बहस सुनी गई। प्रार्थी अधि[illegible] पुनः दोहरा कर बताया कि मौजा जोयला के वादग्रस्त [illegible] दौरान में प्रार्थीगणों के [illegible] प्रस्तुत दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर शुद्ध किये जा[illegible]का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.09 17:26:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

प्र0सं0–55/2024
घीसूलाल बनाम तहसीलदार शिवगंज
अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

हमनें पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, सहखातेदारों के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र, तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनने से दस्तावेजी साक्ष्य व सहखातेदारों के शपथपत्र के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः **मौजा जोयला** पटवार हल्का जोयला के खसरा नं0 342, 343, 344, 493/378, 495/340, 497/341, 500/345, 503/379, 505/380 रकबा कमशः 0.2671, 0.4856, 0.7770, 0.0565, 0.6556, 0.4048, 0.0405, 0.6314, 0.5423 कुल किता 9 कुल रकबा **3.8608 हैक्टयर** में दर्ज नाम घीसाराम पुत्र समरथाराम के स्थान पर **घीसूलाल पुत्र समाजी**, नारायणीदेवी पुत्री मीठालाल के स्थान पर **नारंगीदेवी पुत्री मीठालाल**, भूरीदेवी पुत्री मीठालाल के स्थान पर **गीताबेन पुत्री मीठालाल** व मुरकीदेवी पुत्री मीठालाल के स्थान पर **मूलीदेवी पुत्री मीठालाल** नाम दुरस्त किये जाने का **आदेश** दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज तदअनुसार पालना करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

क्रमांकः–कोर्ट/2024/659
प्रतिलिपि पालनार्थः–
तहसीलदार शिवगंज ।

दिनांक 18–12–2024

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.09 17:26:50 IST
Reason: SelfAttested